न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 396 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

रघुवीर सिह पुत्र श्री हरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद वार्ड नम्बर 12 हनुमानगढ जक्शंन।

वादी

बनाम

1. जसवीर सिह पुत्र श्री हरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी चक [illegible] तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद वार्ड नम्बर 12 हनुमानगढ जक्शंन।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री सुशील कुमार वकील वादी
2– श्री संतोष गोदारा– वकील प्रति सं. 1 ता 2
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय दिनाक :– 25.11.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के नाम से चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101 खाता जसवीर सिह में तथा चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102 / 80 मे प्रतिवादी संख्या [illegible] सिह व पिता हरदयाल सिह केनाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी के पिता हरदयाल सिह पुत्र [illegible] राजूसिह के नाम से चक 10 एमजेडी के खाता संख्या 173 / 99 मे 11.518 है तथा चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101 मे 1.497 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी के पिता हरदयाल सिह की मृत्यु हो चुकी है। हरदयाल सिह की मृत्यु के बाद हरदयाल सिह के [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ही है। वादी के पिता हरदयाल सिह की मृत्यु हो चुकी है हरदयाल सिह की मृत्यु के बाद हरदयाल सिह की कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर का खातेदार हो गए है इस प्रकार वादी के पिता हरदयाल सिह की मृत्यु के बाद चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101 मे वादी का हिस्सा 2.245 है. चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80 मे 0.841 है. तथा चक 10 एमजेडी के खाता संख्या 175 / 99 में 0.759 है. कृषि भूमि बनी है। वादी के पिता हरदयाल सिह ने अपने जीवन काल में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को समस्त कृषि भूमि अच्छीमन्दी रास्ता खाला [illegible] नजर बंटवारा कर दिया था। मुताबिक घरुबटवारा के वादी के हिस्सा मे निम्न कृषि भूमि आई –

(क) चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला न.
149 / 181	22	5 / 2 / .114, 5 / 3 / 0.013, 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025, 14 / 0.253 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025, 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025, 17 / 0.253 25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025 कुल 1.632 हैक्टयर मय गैर मुमकिन 0.113 हैक्टयर खाला
		चक 10 एमजेडी के खाता संख्या 175 / 99
147 / 183	53	25 / 1 / 0.215, 25 / 2 / 0.038 [illegible]
147 / 184	54	5 / 1 / 0.215, 5 / 2 / 0.038, [illegible] 14 / 0.253, 15 / 1 / 0.215, 15 [illegible] मुमकिन 0.152 है. रास्ता खाला
		चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80
152 / 180	16	2.8.9.13 / 0.086

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्सा में घरुबटवारा मे निम्न कृषि भूमि आई –

चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला न.
150 / 181	23	1,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148 / 183	33	19,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148 / 184	44	1,10,11 प्रत्येक 0.253 है. कुल 2.783 हैक्टयर
		चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80
152 / 180	16	13 / 0.167, 18,23 कुल 0.673 है.
		चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 54 / 39 में
152 / 181	25	3 कुल 0.253 है.

इस प्रकार वादी को इस घरू बंटवारा में 3.995 हेक्टयर मय गैर मुमकिन 0.265 हैक्टयर रास्ता व खाला तथा प्रतिवादी संख्या 3.709 है. कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त हुई। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अपनी कृषि भूमि की अच्छी पैदावार के लिए वादी की चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80 में मु.न.16 के किला नं. में लगे टयूबैल तथा इसी मुरब्बा के किला नं. 12 / 2 / 0.164 मे बनी पानी की डिग्गी को संयुक्त रखा है वादी इसी अनुरूप स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी के पिता श्री हरदयाल सिह की मृत्यु हो चुकी है हरदयाल सिह की मृत्यु के बाद कृषि भूमि हरदयाल के नाम से हरने से वादी के विधिक व साम्पत्तिक अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादी व प्रतिवादी द्वारा आपस में समस्त कृषि भूमि को रास्ता खाला अच्छी मन्दी के हिसाब घरूबंटवारा पिता के समय से ही कर दिया था ऐसी स्थिति मे अब वादी वाद पत्र की चरण 4 के अनुसार स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवा इसी अनुरूप अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी से कई निवेदन किया कि वे चल कर हुए घरूबंटवारे मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मानते हुए राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करवा देवे लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे अंत में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण हैं।

अतः लिहाजा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णिता अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार खाता अलग कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 10 एमजेडी खाता संख्या 175 / 99 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102 / 80 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102 / 80 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 103 / 101 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक चक 8 एमजेडी खाता संख्या 54 / 39 [illegible] प्रदर्श 1 ता 4 करवाई एवं हरदयाल सिह व गुरनाम कौर के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो [illegible] पेश [illegible] गई। साथ ही वादी रघुवीर सिह ने 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल [illegible] के वारिसान के संबंध में शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवाकर [illegible] शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण अन्य कोई [illegible] पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 10 एमजेडी खाता संख्या 175 / 99 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102 / 80

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102/80 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 103/101 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक चक 8 एमजेडी खाता संख्या 54/39 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 10 एमजेडी खाता संख्या 175/99 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102/80 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102/80 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 103/101 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक चक 8 एमजेडी खाता संख्या 54/39 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है जो प्रदर्श 1 ता 4 से साबित है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 10 एमजेडी खाता संख्या 175/99 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102/80 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 102/80 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 103/101 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075, चक चक 8 एमजेडी खाता संख्या 54/39 जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक हरदयाल सिह का नाम कलमजन करने एव वादी एव प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:—

1. वादी रघुवीर सिह पुत्र हरदयाल हिस जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :—

पत्थर.नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
		चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103/101
149/181	22	5/2/.114, 5/3/0.013, [illegible] 0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.22 [illegible] 025, 17/0 253 25/1/0.228, 25/2 [illegible] गैर मुमकिन
		चक 10 एमजेडी के खाता [illegible]
147/183	53	25/1/0.215, 25/2/0 [illegible]
147/184	54	5/1/0.215, 5/2/0.038, 6/1/0.215, 6/[illegible]/0.038, 7/0.253, 14/0.253, 15/1/0.215, 15/2/0.038 कुल [illegible] हैक्टयर मय गैर मुमकिन
		चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102/80
152/180	16	2,8,9 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.759 हैक्ट.नहरी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिह पुत्र हरदयाल हिस जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103/101		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
150/181	23	1,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148/183	33	19,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148/184	44	1,10,11 प्रत्येक 0.253 है. कुल 2.783 हैक्टयर
चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102/80		
152/180	16	13, 18, 23 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.759 है.
चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 54/39 में		
152/181	25	3/0.253 है.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया सहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,सगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 396 / 2024

रघुवीर सिह पुत्र श्री हरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद वार्ड नम्बर 12 हनुमानगढ जक्शन।

वादी

बनाम

1. जसवीर सिह पुत्र श्री हरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल आबाद वार्ड नम्बर 12 हनुमानगढ जक्शंन।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सतोष गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 10 एमजेडी खाता संख्या 175 / 99 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 8 एमजेडी खाता सख्या 102 / 80 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 8 एमजेडी खाता सख्या 102 / 80 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 8 एमजेडी खाता संख्या 103 / 101 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 चक चक 8 एमजेडी खाता सख्या 54 / 39 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक हरदयाल सिह का नाम कलमजन करने एव वादी एव प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है –

1. वादी रघुवीर सिह पुत्र हरदयाल हिस जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला न
149 / 181	22	5 / 2 / .114, 5 / 3 / 0.013, 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025, 14 / 0.253, 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025, 16 / 1 / 0.228, 16 / 2 / 0.025, 17 / 0.253 25 / 1 / 0.228, 25 / 2 / 0.025 कुल 1.632 हैक्टयर मय गैर मुमकिन
चक 10 एमजेडी के खाता संख्या 175 / 99		
147 / 183	53	25 / 1 / 0.215, 25 / 2 / 0.038,
147 / 184	54	5 / 1 / 0.215, 5 / 2 / 0.038, 6 / 1 / 0.215, 6 / 2 / 0.038, 7 / 0.253, 14 / 0.253, 15 / 1 / 0.215, 15 / 2 / 0.038 कुल 1.518 हैक्टयर मय गैर मुमकिन
चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80		
152 / 180	16	2,8,9 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.759 हैक्ट.नहरी कृषि भूमि

2. प्रतिवादी संख्या 1 जसवीर सिह पुत्र हरदयाल हिस जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि –

चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 103 / 101		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला न
150 / 181	23	1,10,11,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148 / 183	33	19,20,21 प्रत्येक 0.253 है.
148 / 184	44	1,10,11 प्रत्येक 0.253 है. कुल 2.783 हैक्टयर
चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 102 / 80		
152 / 180	16	13, 18, 23 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.759 है.
चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 54 / 39 मे		
152 / 181	25	3 / 0.253 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोटः— हरदयाल सिह पुत्र राज सिह के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......100/-......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा करें।

आज मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......25.11.2024......को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:18:31 IST
Reason: SelfAttested